

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 753  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 03-07-18

प्रार्थी श्री डुका पिठराजू :: निर्णय ::

जति शाम उम्र 25 नि० शाम तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अयाजत दिनांक 03-07-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा शाम पंचायत समिति देवपुर में स्थित खाता संख्या 2 पर आराजी नं० 671 कुल 10 बीघा बिस्वा किता 1 योग रकबा 10 बिस्वा प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लड़ाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी शंकर पि. प्रगप नि० शाम ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम शाम के खसरा नं० 672 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 3 बिस्वा की जमाबंदी सम्बन्ध 2068-71 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा शाम में स्थित खाता संख्या 2 पर आराजी नं० 671 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा शाम में स्थित खाता संख्या 2 पर आराजी नं० 671 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा विवादप्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, डूंगरपुर मू०अ० निरीक्षक पुनार्त् के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 4000/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर